भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2483

गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का निर्माण

2483. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने संबंधित क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र में तत्संबंधी स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्रपति संभाजी राजे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, पुणे (पुरंदर विमानपत्तन) की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त विमानपत्तन को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारत सरकार की ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग सहित देश भर में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे स्थापित करने का अनुमोदन दिया गया है। इनमें से महाराष्ट्र में दो, अर्थात शिरडी और सिंधुदुर्ग सहित 12 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का प्रचालन शुरू हो चुका है।

भारत सरकार ने मई, 2018 में पुणे के पुरंदर के साइट 1ए पर अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) को साइट क्लीयरेंस प्रदान किया था। तत्पश्चात, जनवरी, 2021 में एमएडीसी ने भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण साइट 1ए के बजाय वैकल्पिक साइट, अर्थात साइट 5ए पर विचार करने के लिए संशोधित प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया था। संबंधित हितधारकों और एमएडीसी के परामर्श से इस मंत्रालय में नई साइट 5ए के लिए साइट क्लीयरेंस पर विचार किया गया था। तथापि, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने बाद में साइट 5ए के लिए एनओसी को वापस ले लिया और उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया।

पुरंदर, पुणे में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मई, 2018 में प्रदान की गई 'साइट क्लीयरेंस' को बहाल करने के लिए एमएडीसी से अगस्त, 2023 में अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह अनुरोध/ प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। एएआई और डीजीसीए से प्राप्त टिप्पणियों के साथ-साथ एमओडी द्वारा प्रदान की गई एनओसी को उनकी टिप्पणियों और अनुपालन के लिए एमएडीसी को भेज दिया गया है।

जीएफए नीति, 2008 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण, आर एंड आर आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की है।

*****